भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 673

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

देश में हुए आई०ई०डी० विस्फोट

673. श्री ए० विलियम रवि बर्नार्ड:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल बम डेटा सेंटर (एनबीडीसी) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बम विस्फोटों से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची के अनुसार भारत में हुए 190 आई०ई०डी० विस्फोटों के साथ पाकिस्तान और ईराक थोड़ा ही पीछे है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में हुए 92 प्रतिशत विस्फोटों में उच्च ग्रेड वाले विस्फोट इस्तेमाल होते हैं और 54 प्रतिशत विस्फोटों का निशाना आम जनता रही;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विस्फोटकों और डेटोनेटर्स की अत्यधिक बिक्री करने और इनके भंडारण को नियंत्रित करने और इनके उपयोग पर निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क) से (ग): जी, हां। राष्ट्रीय बम डाटा केन्द्र (एनबीडीसी) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2014 के दौरान 190 आईईडी विस्फोट (पूर्वोत्तर राज्यों में 61, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 98, जम्मू और कश्मीर में 19 और देश के अन्य भागों में 12) हुए। इन आईईडी विस्फोटों में से 55 % विस्फोटों का लक्ष्य आम जनता, 38% का लक्ष्य सुरक्षा बल, 4% का लक्ष्य सरकारी सम्पत्तियां तथा 3% का लक्ष्य अति विशिष्ट व्यक्ति थे। 92% मामलों में, उच्च स्तर के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था और 8% मामलों में निम्न स्तर के विस्फोटकों का प्रयोग किया गया था।

(घ): विस्फोटकों और डेटोनेटर का विनिर्माण, भण्डारण, बिक्री, प्रयोग और आवाजाही विस्फोटक अधिनियम, 1984 के द्वारा शासित होता है। पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), नागपुर विस्फोटकों के विनिर्माण, बिक्री और प्रयोग की निगरानी करना है तथा ऑन-लाइन जांच माड्यूल के माध्यम से सभी लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरणियां की जांच करता है।

अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में विस्फोटकों के लेन-देन और आवाजाही पर नजर रखने के लिए सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को ऑन-लाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विस्फोटकों के भण्डारण, बिक्री, प्रयोग और आवाजाही की निगरानी के संबंध में पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) विस्फोटक के विक्रेता को प्रेषिती के मैगजीन परिसर में विस्फोटक सुपुर्द करना होगा ताकि विस्फोटकों की खेप को इधर-उधर जाने से रोका जा सके।

(ii) संबंधित पुलिस और जिला प्राधिकारियों को विस्फोटक डिलेवरी पास भेजा जाना अनिवार्य बनाया गया है।

(iii) विस्फोटकों को ले जाते समय विस्फोटक वैन की सुरक्षा के लिए दो सशस्त्र गार्ड की तैनाती अनिवार्य बनाई गई है।

(iv) विस्फोटक वैन के चालक के पूर्ववृत्त के सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है।

(v) आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए इलेक्ट्रिक डेटोनेटर ले जाने वाली वैनों को छोड़कर विस्फोटक ले जाने वाले वाहनों पर जीपीएस उपकरणों का प्रयोग।

(vi) विस्फोटकों की खेप प्राप्त करने के लिए प्रेषिती के प्राधिकृत प्रतिनिधि के लिए फोटो पहचान सहित लिखित प्राधिकार को अनिवार्य बनाया गया है।

*****